न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

वाद 11/2020

निर्णय **दिनांक 02.03.2021**

प्रभातीलाल बनाम ईसरराम व अन्य

पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को शाम 05:30 बजे तक बार–बार आवाज लगवाई गई। बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण 01 लगायत 03, 07 लगायत 10, 13, 14 व बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 हेतु नियत है। उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 07.02.2018 से तथा तलवी दावा दायरी से ही अपेक्षित है। निरन्तर अवसरों के उपरान्त भी तलवी प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं की गई तथा जवाब बहस प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके क्रम में गत कई तारीख पेशियों से निरन्तर अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है, जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रकरण के प्रति ईच्छुक/गंभीर नहीं है। जिससे अपेक्षित कार्यवाही भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आदेश 9 नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा अदम हाजरी अदम पैरवी में वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
आमेर मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:01 IST
Reason: SelfAttested